न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/152/19	15–10–2019	10–11–2020

01. अमर सिंह यादव पुत्र श्री मीना यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बीधाना तहसील बहरोड जिला अलवर। अपीलान्ट

बनाम

01. तहसीलदार भू–अभिलेख बहरोड जिला अलवर।
02. प्रभू यादव पुत्र श्री मीना यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बीधाना तहसील बहरोड जिला अलवर।
03. विक्रम सिंह यादव पुत्र श्री सांवत सिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर।

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बहरोड, के दिनांक 13–07–2016 बाबत इन्तकाल सं0 343 वाके ग्राम बीधाना तहसील बहरोड जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री जगदीश शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट
03. श्री मुकेश कुमार शर्मा –वकील रेस्पौडेण्ड

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 13–07–2016 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 343 वाके ग्राम बीधाना तहसील बहरोड जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट व रैस्पा0 संख्या 2 आपस में सगे भाई है। जिनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 0.13 है0 व 151 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 रकबा 0.27 है0 पर अपीलान्ट व रैस्पा0 सं0 2 प्रत्यके का बराबर–बराबर का हिस्सा है। अपील में वर्णित आराजीया अपीलान्ट व रैस्पा0 सं0 2 के मध्य सन् 1978 में ही आपसी सहमति से वाहमी बंटवारा बिना किसी दबाव, बहकाव व फुसलाइट, राजीखुशी से स्वतंत्र इच्छा से हो गया था। बंटवारा के तहत आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 0.13 है0 अपीलान्ट के पास व आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 0.14 है0 रैस्पा0 संख्या 2 के पास आई। जिस पर अपने अपने पास आई आराजी पर काबिज है। अपीलान्ट अपीलान्ट अपनी आराजी पर अपने परिवार की आवश्यकतानुसार रिहायशी मकानात बनाएं गए तथा आराजी

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

पर चार दुकाने बनाई गई व टीनशेड लगाया गया। वर्णित आराजी का बटंवारा सन् 1978 से आज तक कोई सम्बन्ध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। अपीलान्ट व रैस्पा0 से आपस में हुए बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने की बाबत अनेंको बार कहा किया लेकिन हार बार टालबाल का जबाव दिया गया, दिनांक 7.3.14 को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बहरोड के यहां एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबद तकसीम आराजीयात इस्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी उनवान अमर सिंह बनाम प्रभू यादव प्रस्तुत किया गया। रैस्पा0 संख्या 2 ने वर्णित आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 0.13 की बाबत उसके नाम के चले आ रहें 1/2 हिस्से का नाजायज फायदर उठानते हुए दिनांक 5.3.14 को जरिये बयनामा रैस्पा0 संख्या 3 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 469 पेज संख्या 176 क्रमांक 2014000668 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1223 पेज संख्या 107–113 उप पंजीयक बहरोड के यहॉ बिना प्रतिफल राशि प्राप्त किए व बिना जरे बदल पंजीवद्व करवा दिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 7.3.17 को रैस्पा0 संख्या 3 के द्वारा बताने पर हुई। अपीलान्ट ने उक्त बयनामा को निरस्त करने कहा किन्तु इन्कार कर दिया, अपीलान्ट द्वारा बयनामा दिनांक 3.6.14 को निरस्त कराने बाबत न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 1 बहरोड के यहां एक दीवानी वाद बाबत निरस्त किऐ जाने बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी उनवान अमर सिंह बनाम प्रभु को प्रस्तुत किया गया जिस में रैस्पा0 संख्या 3 पक्षकार है। तहत अदालत ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2016 जो ग्राम रिवाली में दिनांक 12.7.16 को लगा था के द्वारा अपीलीय इन्तकाल संख्या 343 दिनांक 13.7.16 से अपने हक में स्वीकृत करा लिया गया। तहत अदालत द्वारा अपना ज्युडिशियल माईण्ड कतई एप्लाई नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा उप खण्ड अधिकारी बहरोड में विचाराधीन राजस्व वाद के साथ प्रा0पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिये गये स्टे आदेश की प्रति तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी, इसके बावजूद तहत अदालत ने स्टे आदेश होते हुऐं भी अपीलीय आदेश पारित कर दिया, इस तथ्य पर कोई गौर किसी प्रकार का नहीं किया गया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि अगर कोई हिस्सेदार अपनी पैतृक सम्पत्ति के अपने किसी हिस्से को अजनबी व्यक्ति को विक्रय करता है तो उस खरीदार की हैसियत उस सम्पत्ति का बंटवारा करवाएं बिना भौतिक रूप से उस सम्पत्ति में नहीं धुस सकता है। तहत अदालत इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि आराजीयात के बाबत नियमिति सिविल वाद व नियमित राजस्व वाद न्यायालयों में विचाराधीन रहने के दौरान इंतकाल जैसी समरी कार्यवाही नही की जा सकती है। तहत अदालत ने इन्तकाल तस्दीक करते समय बखूबी ज्ञान था कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है। रैस्पा0 संख्या 2 को आराजी से कोई लेना देना नही है फिर भी रैस्पा0 संख्या 2 से मिलीभत करके गैर कानूनी व फर्जी की जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। तहत अदालत ने बिना जांच किए अपीलीय निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। इन्तकाल दर्ज व निर्णित कर दिया

जिला कलक्टर अलवर (राज.)

जिला अलवर

जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.08.2016 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे। अपने कथन की पुष्टी में आरबीजे (18) 2011 पेंज 253, व पेंज 253, एवं पेंज 407 की नजीरें पेश की गई।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि बराबर हिस्से में इन्तकाल चढा दिया जावे हम को किसी प्रकार का एतराज नही होगा।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 13–07–2016 के विरूद्ध दिनांक 30.08.16 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 1 माह 17 दिन विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने एसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं जिससे यह प्रतीत होता हो कि पक्षकारान में आपसी बंटवारा हुआ हों। अपीलान्ट–रैस्पा0 संख्या 2 ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उक्त बंटवारा की बाबत लिखतम श्री रधुनाथ यादव पुत्र प्रभारी लाल याद निवासी सानोली तहसील मुण्डावर द्वारा सन् 1978 में ही वक्त बंटवारा बही में की गई थी, जो निजी बही में किया गया, जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में नहीं कराया गया। इस प्रकार उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा होना नहीं पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी का अधिकारों की घोषणा के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इंतकाल की कार्यवाही फिसीकल प्रासडिंग है, इस में किसी के अधिकार तय नही होते अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही होता है। जो पक्षकारान में मध्य चल रहा है जिसमें अधिकार तय होने है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार बहरोड का आदेश दिनांक 13.7.2016 बाबत इन्तकाल संख्या 343 ग्राम बीधाना तहसील बहरोड यथावत् रखा जाता है। निर्णय प्रति तहसीलदार बहरोड को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर